

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3308—पीबीआर/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 23-07-2013
पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक
21/बी-103/11-12.

अनिल राठी आ. श्री सीताराम राठी
निवासी आर्य नगर सूरजगंज इटारसी

.....आवेदक

विरुद्ध

1—म0प्र0शासन,
2—शाखा प्रबंधक,
एक्सेस बैंक शाखा, होशंगाबाद

.....अनावेदकगण

श्री आर0के0जैन, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदकगण—एकपक्षीय

:: आ दे श ::

(आज दिनांक ६।८।१५ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में केवल “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 23-07-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि महालेखाकार ग्वालियर की निरीक्षण टीम द्वारा उपर्युक्त इटारसी का निरीक्षण कर निरीक्षण टीप की कंडिका 2 में दस्तावेज

क्रमांक 1801 दिनांक 23-3-11 पर कम मुद्रांक शुल्क अधिरोपित किये जाने संबंधी उल्लेख किया गया। निरीक्षण टीप वर्ष 2009-11 के पालन में उप पंजीयक द्वारा प्रकरण पर्याप्त शुल्क अधिरोपित करने हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को भेजा गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 48(ख) के अन्तर्गत प्रकरण क्रमांक 21/बी-103/11-12 दर्ज कर दिनांक 23-7-13 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन दस्तावेज पर 50,000/- रुपये मुद्रांक शुल्क अधिरोपित किया गया एवं अधिनियम की धारा 40(ख) के अन्तर्गत 5,000/- शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल राशि रुपये 55000/- जमा करने के आदेश दिये गये। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से आधार लिया गया है कि आवेदक द्वारा खेड़ा इटारसी जिला होशंगाबाद जो कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा "स" श्रेणी का औद्योगिक क्षेत्र है, के अन्तर्गत उद्योग स्थापित करने हेतु टर्म लोन प्राप्त किया गया है, जिस पर शासन द्वारा साम्यिक बंधक पत्रों पर मुद्रांक शुल्क की छूट प्रदान की गई है तथा शासन की योजना के अनुसार आवेदक का उक्त साम्यिक बंधक पत्र दिनांक 23-03-2011 को दस्तावेज क्रमांक 1801 देकर उप पंजीयक कार्यालय इटारसी में पंजीकृत किया गया है, जो मुद्रांक शुल्क से प्रभारणीय नहीं है। केवल इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। लिखित तर्क में यह भी आधार लिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निराकरण करने में अधिनियम की धारा 48 ख का पालन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि अनावेदक केता अनुपस्थित तथा अनावेदक का पक्ष समाप्त किया गया जबकि आवेदक केता न होकर ऋणग्रहिता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पक्ष समाप्त होने के उपरांत भी निर्णय विधि अनुसार तथा विधि संगत पारित किया जाता है ना कि विपरीत प्रभाव का निर्णय पारित किया जाता है। म0प्र०शासन वाणिज्यकर विभाग की अधिसूचना क्रमांक 26-बी-2-10/2004/वा०कर० भोपाल दिनांक 20-10-2004 के अध्याधीन भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा टर्म लोन

रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) हेतु 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की छूट मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य कि "उक्त दस्तावेज पर उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर छूट दिये जाने का प्रावधान भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत जारी अनुसूची क्रमांक 1 के अनुच्छेद 6 (क) के अन्तर्गत नहीं है।", स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा पारित आदेश एकपक्षीय आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-7-2013 में वर्णित प्रकरण का संक्षिप्त विवरण को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उतावलेपन में बिना पढ़े आदेश पारित किया है क्योंकि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण में अनावेदक क्रमांक 1 इलाहाबाद बैंक को पक्षकार बनाया गया है जबकि कोई भी संव्यवहार निगरानीकर्ता का इलाहाबाद बैंक इटारसी के साथ नहीं हुआ है और प्रकरण के शीर्ष में भी इलाहाबाद बैंक शाखा इटारसी पक्षकार के रूप में संयोजित है।

4/ प्रकरण में अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर ऑफ़ स्टाम्प्स के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ़ स्टाम्प्स द्वारा आवेदक को विधिवत् सूचना पत्र जारी किया गया है, और उसके अनुपस्थित रहने के कारण पक्ष समर्थन समाप्त किया गया है। अधिनियम की अनुसूची-1(क) अनुच्छेद 6(क) के अंतर्गत हक बिलेख के निक्षेप से सम्बन्धित घोषणा पत्र पर 0.50 प्रतिशत (0.25 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क एवं 0.25 प्रतिशत पंचायत शुल्क) देय है, तदनुसार कलेक्टर ऑफ़ स्टाम्प्स द्वारा स्वीकृत ऋण राशि 1,00,00,000/- पर 50,000/- रुपये मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की है। चूंकि आवेदक द्वारा मुद्रांक शुल्क का अपवंचन किया गया है, इसलिये 5000/- रुपये शास्ति

अधिरोपित करने में भी पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है। इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य योग्य नहीं है कि मध्य प्रदेश वाणिज्यकर विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.10.2004 के अध्यधीन अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत टर्म लोन पर 100 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की छूट शासन द्वारा प्रदान की गई है, क्योंकि इस सम्बन्ध में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर छूट दिये जाने का प्रावधान अधिनयम की अनुसूची 1-के अनुच्छेद 6(क) के अंतर्गत नहीं है। इस प्रकार कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.7.2013 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
गवालियर